in the Ministry of Agriculture and the number of times they met each year;

(b) what are their recommendations; and

(c) what action has been taken by Government on the recommendations ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM): (a) In all, six Development Councils for different crops exist in the Ministry of Agriculture (Deptt. of Agriculture & Cooperation). The names of Development Councils, the date on which they were reconstituted by the Government and the number of meettings held are given below :

	Name of the Council	Date on which reconstituted	Number of meetings held
1.	Indian Sugarcane Dev. Council	31-10-91	One (1992)
2.	Indian Cotton Dev. Council	8-11-91	One (1993)
3.	Indian Tobacco Dev. Council	26-5-92	One (1992)
4.	Indian Jute Dev. Council	14-9-92	No meeting held yet
5.	Indian Rice Dev. Council	26-5-92	No meeting held yet
6.	Indian Pulses Dev. Council	15-5-93	No meeting held yet

(b) and (c) The Development Councils are Advisory Bodies. Their recommendations are duly taken into consideration and mostly accepted and implemented.

Changes in Milk and Milk Products Order

1299. DR. YELAMANCHILI SIVAJI: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government propose to make changes in milk and milk products order; and

(b) if so, what are the details in this regard.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) Amendments in the Milk and Milk Product Order promulgated on 9th June, 1992 have been made in the light of experience gained in its implementation.

(b) The following amendments in the Milk and Milk Products Order 1992 have so far been made :

(1) Amendment to Sub-Paragraph (7) of Paragraph 5 of Milk and Milk Product Order, 1992 *vide* Gazette Notification No. 32(E) dated 7-1-1993.

(2) Amendment to Sub-Paragraphs (1), (2), (3) and (4) of Paragraph 3 of Milk and Milk Product Order, 1992 *vide* Gazette Notification No. 111 (E) dated 17-2-1993.

समेकित विकास केन्द्रों की स्थापना

1300. **श्री राम नरेश यादव** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि उत्पादों पर आधारित लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये समेकित विकास केन्द्रों की स्थापना किए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) निकट भविष्य में उत्तर प्रदेश में ऐसे कितने केन्द्र स्थापित किए जाने की सम्भावना है ?

गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री और कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री का अतिरिक्त प्रभार (श्री एस० कृष्ण कुमार): (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

वर्षा की अनियमितता के कारण फसलों का नुकसान

1301. **श्री गोपाल सिंह जी० सोलंकी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत वर्ष वर्षा की अनियमितता के कारण अनेक राज्यों की फसलों को नुकसान पहुंचा है;

(ख) यदि हां, तो फसलों को राज्यवार कितना नुकसान पहुंचा है; और

(ग) वर्षा की अनियमितता के कारण जिन किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है उन्हें राहत प्रदान करने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान (जून से सितम्बर, 1992) कम वर्षा के कारण, बिहार, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में खरीफ फसलों, खासकर धान की फसल को कुछ नुकसान हुआ है । इन राज्यों में 1991-92 के मुकाबले में 1992-93 के दौरान खरीफ चावल का उत्पादन इस प्रकार है :—

('000 मीटरी टन)

राज्य	1992-93 (संभावित)	1991-92	1991-92 के मुकाबले 1992-93 के दौरान खरीफ चावल के उत्पादन में भारी गिरावट
बिहार . . .	3100	4317	1217
आंध्र प्रदेश . . .	6276	6956	680
उड़ीसा	4976	6030	1054

(ग) जिन किसानों की फसलें प्राकृतिक आपदाओं के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं, उन्हें राहत पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं :

(i) सूखा, बाढ़ आदि के कारण फसल की विफलता की स्थिति में वित्तीय सहायता देने तथा अगले मौसम के लिए उनको ऋण हकदारी को बहाल करने के उद्देश्य से व्यापक फसल बीमा योजना कियान्वित की जा रही है ।

(ii) 3:1 के अनुपात में केन्द्रीय और राज्य शेयर से प्रत्येक राज्य के लिए आपदा राहत कोष का गठन किया गया है । प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल की विफलता की स्थिति में राज्य सरकारों को राहत कार्य शुरू करने का कार्य पूर्ण अधिकार प्रदान किया गया है ।